अध्याय 2 (मैन्युअल - बी-vii)

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

(The Perticulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implemetation there of)

विभाग में नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा विभिन्न स्तरों पर जनप्रतिनिधियों से भी परामर्श का विकल्प लिया जाता हैं, जिससे की नीति निर्धारण जनता की अपेक्षा के अनुरूप रखा जा सके।

विभाग के अंतर्गत वन सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे तक सीमित ग्रामों में रियायती दर पर बांस, बल्ली इत्यादि की आपूर्ति की व्यवस्था निस्तार के अंतर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम वन समितियों तथा वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कार्य मों कायान्वयन जनता की भागीदारी के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

लोकवानिकी प्रबंध योजना के अंतर्गत तहसील स्तरीय मूल्यांकन समिति

विभाग में लोकवानिकी प्रबंध योजना के अंतर्गत परिक्षेत्र स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक विकासखंड या उसके किसी ब्लॉक के प्रबंधन योजना केयान्वयन को क्षेत्रीय परिक्षेत्र अधिकारी की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानीटर किया जाता है । जिसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथा स्थिति किसी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ठ किया जाता है। समिति सक्षम प्राधिकारी को अपनी टीका-टिप्पणी तथा सिफारिशों की रिर्पोट देती है।